

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 1(207)एमई/ग्रुप-1/2013

जयपुर, दिनांक

आदेश

31 AUG 2016

इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(85)एमई/ग्रुप-1/13 दिनांक 28.05.2013 के द्वारा डॉ० भैरूलाल जाट को वरिष्ठ प्रदर्शक, फोरेन्सिक मेडिसिन के पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुए इनका पदस्थापन मेडिकल कॉलेज, उदयपुर में किया गया था। डॉ० भैरूलाल जाट को आदेश जारी होने की दिनांक से चार सप्ताह के भीतर पदस्थापन स्थान पर अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करनी थी।

डॉ० भैरूलाल जाट के द्वारा पदस्थापन स्थान पर आदिनांक तक अपनी उपस्थिति प्रस्तुत नहीं की गई है एवं इस सम्बन्ध में इनके द्वारा ना तो इस विभाग को ना ही पदस्थापन स्थान मेडिकल कॉलेज उदयपुर को किसी प्रकार की सूचना प्रस्तुत की गयी।

उक्त वस्तुस्थिति से यह स्पष्ट होता है कि डॉ० भैरूलाल जाट नियुक्ति पर कार्यग्रहण कर नियुक्ति प्राप्त करने की इच्छुक नहीं है।

डॉ० भैरूलाल जाट के द्वारा निर्धारित समय में पदस्थापन स्थान पर उपस्थिति प्रस्तुत नहीं करने के कारण इनका नियुक्ति आदेश निष्प्रभावी हो गया है।

अतः डॉ० भैरूलाल जाट के पक्ष में जारी उपरोक्त वर्णित आदेश दिनांक 28.05.2013 को एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

आदेश से,

(डी.एल. तंवर)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, शासन प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, शासन विशिष्ट सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(85)एमई/ग्रुप-1/13 दिनांक 28.05.2013 के संदर्भ में।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, उदयपुर।
5. डॉ० भैरूलाल जाट पुत्र श्री नानूलाल जाट, 117, नई कोठी, ग्राम- ईशारावाला, पोस्ट- बिलौंची, वाया-मोरीजा, जिला- जयपुर (राज.) - 332411 (रजिस्टर्ड डाक से)।
6. रक्षित पत्रावली।

(महेश व्यास)

शासन सहायक सचिव